प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0,
देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग   देहरादूनः दिनांकः 16 सितम्बर, 2020

विषयः– कोविड–19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण बेरोजगार उत्तराखण्ड वासियों को उपनल के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप अवगत ही है कि उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में उनकी मांग एवं आवश्यकता के अनुसार आउटसोर्स के आधार पर कार्मिक उपलब्ध कराये जाते हैं। शासनादेश संख्या–685/XVII–5/16–09(17)/2004, दिनांक 05 जुलाई, 2016 द्वारा केवल भूतपूर्व सैनिकों के साथ–साथ उनके विधिक आश्रितों को ही 10 वर्ष की अवधि तक विभिन्न शासकीय विभागों/निगमों में प्रायोजित किये जाने का प्राविधान है।

2. वर्तमान में कोविड–19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर एवं मा0 प्रधानमंत्री जी की पहल के अनुसार 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान" के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि जो उत्तराखण्ड वासी राज्य में वापस आ गए हैं उन्हें, उनके अनुभव/योग्यता/कौशल के अनुसार उनके निवास स्थान के नजदीक उनकी कार्यकुशलता के आधार पर उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से अस्थाई रोजगार प्रदान किया जाए।

3. अतः इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम 'उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल)' के माध्यम से स्वास्थ्य, हाउसकीपिंग, हास्पिटैलिटी एवं तकनीकी आदि क्षेत्रों में मांग के सापेक्ष उपनल में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों के उपलब्ध न होने की स्थिति में इन क्षेत्रों में कोविड–19 महामारी के कारण बेरोजगार उत्तराखण्ड वासियों के साथ–साथ राज्य के अन्य लोगों को भी अन्तिमतः दिनांक 31 मार्च, 2021 तक पंजीकृत अभ्यर्थियों में से Skilled (कुशल) लोगों को वरीयता देते हुए रोजगार उपलब्ध होने की तिथि से 11 माह तक अस्थाई रोजगार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

4. शासनादेश संख्या–685/XVII–5/16–09(17)/ 2004, दिनांक 05 जुलाई, 2016 को उक्त सीमा तक आंशिक संशोधित समझा जाए तथा शासनादेश संख्या–685/XVII–5/16–09(17)/ 2004, दिनांक 05 जुलाई, 2016 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या ——— (1)/ XVII –5 / 2020–06(02) / 2020 : तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद् अनुभाग), उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, अपर सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।